भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221873 SG-DL-E-22092020-221873

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] No. 194] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 139

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

[N. C. T. D. No. 139

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग अधिस्चना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

स. एफ. 74/डीटीसी/एस.टी.ए./2020 एवं स. एफ. 19(09)/सचि0/परिवहन/2020/51463.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 735, दिनांक 24 फरवरी, 1977 के साथ पठित सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों को हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस प्रकार के अतिक्रमण से पूर्व कृत्य या अकृत्य से संबंधित को छोड़कर परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं एफ. 74/डीटीसी/एस.टी.ए./2005/304 दिनांक 11 अगस्त, 2010 को रद्द करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, श्री शकील अहमद खान, उप-मुख्य महाप्रबंधक (यातायात), दिल्ली परिवहन निगम को भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समकक्ष अधिकारी के रूप में उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा दिल्ली परिवहन निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक परिसर से संबंधित कथित अधिनियम के द्वारा अथवा के अधीन सम्पदा अधिकारी को सौंपे गये कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारी नियक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

4383 DG/2020 (1)

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2020

No. F. 74/DTC/STA/2020 and No. F. 19(09)/Sectt/Tpt/2020/51463.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 735 dated 24th February, 1977 and in supersession of notification No. F. 74/DTC/STA/2005/304 dated the 11th August, 2010 of the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi except in respect of things done or omitted to be done before such super-session, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Shakeel Ahmad Khan, Dy. Chief General Manager (Estate), Delhi Transport Corporation, being an officer of equivalent rank to that of a gazetted officer of the Government, to be the Estate Officer for the purpose of the said Act, and to exercise the powers conferred, and to perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act in respect of Public Premises under the administrative control of the Delhi Transport Corporation.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, K. K. DAHIYA, Spl. Secy. (Transport)